

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, करौली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

459
12/6/18

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी गूडला व भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील व जिला करौली की जमाबन्दी सम्बन्ध में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	सिलपुर	42	वाकू पुत्र सुरवा दि 1/2 धीस्वा पुत्र शरण दि 1/2 कैम्प पन्ना सा.गूडला (देवरालके से सम्बन्धित)	वाकू पुत्र सुरवा दि 1/2 धीस्वा पुत्र शरण दि 1/2 कैम्प जाक सा. गूडला (देवरालके से सम्बन्धित)

.....
12/06/18
(..... अधिकारी)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत, कैम्प
उप खण्ड अधिकारी, करौली

क्रमांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2. प्रार्थी श्री